विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय सम्मिलित हैं। प्रथम अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना तथा सीमा एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा इन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ प्रमुख विभागों के व्यय पर एक संक्षिप्त विश्लेषण शामिल है। अध्याय दो में तीन अनुपालन लेखापरीक्षा (i) झारखण्ड में गव्य विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, (ii) गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं (iii) झारखण्ड में वन भूमि प्रबंधन के अलावा विभिन्न विभागों के आठ लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल प्रणालीगत कमियों, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी, हानि, व्यर्थ/निष्फल व्ययों, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अनुचित लाभ, अत्यधिक भुगतान आदि लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 120.28 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है। इन लेखापरीक्षा नमूनों को प्रतिस्थापन के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के आधार पर चयन किए गए हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख प्रत्येक अनुपालन लेखापरीक्षा में किया गया है। राज्य सरकार के मंतव्यों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा अनुशंसाएँ की गई हैं। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में दिया गया है।

1. कार्यक्रमों /कार्यकलापों/विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा

(i) झारखण्ड में डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिए लाभदायक सतत् रोजगार प्रदान करने हेतु छह डेयरी विकास योजनाएं आरंभ (अगस्त 2004 तथा फरवरी 2009 के बीच) की। लेखापरीक्षा ने दो योजनाओं की समीक्षा की, यथा दुधारु मवेशी वितरण योजना (दु.म.वि.यो.) तथा तकनीकी इनपुट कार्यक्रम (त.इ.का.) जिसमें ₹ 242 करोड़ (2012-17 के दौरान छह योजनाओं पर ₹ 312 करोड़ के कुल व्यय का 78 प्रतिशत) व्यय शामिल है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

डेयरी एवं योजना की स्थिति

विभाग द्वारा निर्धारित दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमानित प्रति व्यक्ति आवश्यकता का 61 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता का 52 प्रतिशत था। वास्तविक उत्पादन राष्ट्रीय औसत का मात्र 41.41 प्रतिशत था क्योंकि विभाग ने दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों वाली कोई योजना तैयार नहीं की।

12वीं पंचवर्षीय योजना (पं.व.यो.) के दौरान राज्य में दुग्ध उत्पादन की औसत वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना की 17.52 प्रतिशत थी जबकि इसी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकास दर 25.82 प्रतिशत था। इसके अलावा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखण्ड के दुग्ध उत्पादन की संचयी वृद्धि (12.80 प्रतिशत), पड़ोसी राज्यों जैसे उड़ीसा (16.18 प्रतिशत), छतीसगढ़ (18.04 प्रतिशत) तथा बिहार (27.26 प्रतिशत) के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम थी। अगर लक्ष्य योजनाबद्ध तथा मापी योग्य मापदण्डों जैसे कृत्रिम गर्भाधान (कृ.ग.) की संख्या को पूरा करना, अपेक्षित संख्या में बछड़ों का जन्म लेना, बछियों की अपेक्षित संख्या को दुधारु बनाना इत्यादि के आधार पर बनाया जाता तो पर्याप्त अनुश्रवण तथा जाँच के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता था।

अनुशंसा

दुग्ध उत्पादन में अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभाग को योजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर यथोचित रणनीतियाँ तथा मापेय मापदण्ड विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट समयसीमा एवं मानदण्ड निर्दिष्ट हों।

कंडिकाएँ 2.1.2. तथा 2.1.5

मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग को विभिन्न स्तरों पर 55 प्रतिशत (155 पद) की कुल रिक्ति का सामना करना पड़ रहा है जिसमें जिला स्तर पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी (जि.ग.वि.प.) के 34 प्रतिशत पदों की रिक्तियाँ तथा ग्राम स्तर पर गव्य तकनीकी पदाधिकारी (ग.त.प.) के पदों का 56 प्रतिशत महत्वपूर्ण रिक्तियाँ शामिल हैं। विभाग का सांख्यिकीय अनुभाग, आस्तित्व से ही अक्रियाशील था। इन कमियों के कारण राज्य में डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामत:, विभाग के पास दु.म.वि.यो. के तहत न तो मवेशियों की वास्तविक संख्या है और न ही बैंकों में अवरुद्ध अनुदान की राशि की कोई सूचना है। दु.म.वि.यो. के तहत वितरित किए गए मवेशियों का पर्यवेक्षण तथा जाँच कार्य को भी नहीं किया गया, जैसा योजना दिशानिर्देशों में निहित है।

अनुशंसा

विभाग को विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने के लिए उचित उपाय करना चाहिए।

कंडिका 2.1.3

बैंक खातों में सरकारी निधियों का अवरोधन

छह नमूना जाँचित जिलों में जि.ग.वि.प. ने 2012-17 के दौरान 18,452 मेवेशियों का वितरण करने के लिए बैंकों को ₹ 82.85 करोड़ की अनुदान राशि जारी की। हालांकि ₹ 37.78 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोग करके केवल 9,584 मवेशियों को ही खरीदा जा सका, परंतु विभाग ने ₹ 45.07 करोड़ की अवितरित अनुदान राशि

को वापस पाने तथा बैंकों से इसका ब्याज लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। राज्य के शेष 18 जिलों में, विभाग के पास न तो खरीदे गए मवेशियों की संख्या के बारे में कोई आँकड़ा था और न ही राज्य के बैंकों में पड़ी अनुदान की राशि का विभाग ने पता लगाया। जि.ग.वि.प. ने विभाग से प्राप्त धनराशि को बैंको में मात्र हस्तांतरित किया तथा योजना को वास्तव में लागू किए बिना ही योजना को क्रियान्वित घोषित कर दिया।

अनुशंसा

विभाग को पूरे राज्य के बैंकों में पड़ी अनुदान राशि का पता लगाना चाहिए तथा अप्रयुक्त अनुदान राशि जो नियत अवधि के अंदर लाभार्थियों को नहीं दिया गया पर बैंकों से ब्याज लेना चाहिए। इसके अलावा, विभाग को तब तक अनुदान राशि जारी नहीं करनी चाहिए जब तक बैंकों के साथ अव्यवहृत अनुदान राशि का समायोजन न हो जाए।

कंडिका 2.1.6.3

दुधारु मवेशी वितरण योजना (दु.म.वि.यो.) एवं उत्पादकता में वृद्धि

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) के अंतर्गत दु.म.वि.यो. में लक्षित लाभार्थियों के 30 प्रतिशत (5,208 में से 1,553) को रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका तथा राज्य लक्षित मवेशियों के 15 प्रतिशत (18,777 में से 2,854) को वितरित करने में असफल रही क्योंकि विभाग ने दोनों चरणों में मात्र 15,923 मवेशियों को वितरित करने हेतु अनुदान जारी किया। वैसे 1,481 लाभार्थी जो प्रथम चरण में प्राप्त ऋण की किस्त का भुगतान करने में असफल रहे उनके विरुद्ध संबंधित बैंकों द्वारा दावे के अभाव के कारण द्वितीय चरण में कम अनुदान राशि जारी की गई। प्रथम चरण में कम राशि जारी किए जाने का कारण अभिलेखित नहीं था। इसके अलावा, योजना को 2016-17 में लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई वित्तपोषण पद्धति के तहत सामान्य श्रेणी के लाभुकों की अनुदान राशि को घटाकर 25 प्रतिशत (पूर्व में 40-50[1] प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए 33.33 प्रतिशत (पूर्व में 40-50 प्रतिशत) कर दिया गया।

बी.पी.एल. (महिला) योजना के तहत दु.म.वि.यो. का उद्देश्य ग्रामीण बी.पी.एल. महिलाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना था। इस योजना में 89.49 प्रतिशत (18,176 लाभुकों में से 16,446) लाभार्थियों को सतत् रोजगार नहीं दिया जा सका तथा 2015-17 के दौरान लक्षित मवेशियों का 53 प्रतिशत (26,148 में से 13,924) शामिल करने में असफल रहने का मुख्य कारण यह है कि लाभुकों को मवेशियों की खरीद के लिए जि.ग.वि.प. उनके परिसर में मवेशी मेला का आयोजन करने में असफल रहे। साथ ही साथ, इस योजना में राज्य के 24 जिलों में से 9 जिलों को

[1] मिनी डेयरी के लिए 50 प्रतिशत एवं मिडी डेयरी के लिए 40 प्रतिशत।

शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मिल्कफेड द्वारा इन जिलों में मार्ग स्थापित नहीं किया गया था।

पाँच अथवा उससे अधिक दुधारू मवेशी डेयरियों (जहाँ प्रदर्शन 45.76 प्रतिशत से 68.08 प्रतिशत के बीच था) की तुलना में दो दुधारू मवेशी डेयरी का प्रदर्शन कम था (लक्ष्य का 8.40 प्रतिशत) क्योंकि गर्भावस्था चक्र के दौरान कम से कम दो महीनों तक ये मवेशी दूध देना बंद कर देती है जिसके परिणामस्वरुप दो दुधारु मवेशी डेयरी वर्ष भर में लाभुकों को आय का सतत् स्रोत प्रदान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, छह महीनों की निर्धारित अवधि के बावजूद, लाभुक केवल अगले वित्तीय वर्ष में ही द्वितीय चरण की खरीद के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं। यह लाभुक द्वारा बिक्री हेतु दूध की निरंतर उपलब्धता में रूकावट डालता है। इसके विपरीत, अन्य डेयरी योजनाओं में जहाँ मवेशियों की संख्या एक से अधिक है, वहाँ दूध की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए लाभार्थी विभिन्न मवेशियों के गर्भावस्था चक्र में अंतराल के द्वारा दूध प्राप्त करते है।

वर्ष 2012-17 के दौरान बछियो का मात्र 27.27 प्रतिशत को (1.70 लाख में से 46,322) दुग्ध-जन्य मवेशी में परिवर्तित किया जा सका क्योंकि विभाग इन बछियों की देखभाल सुनिश्चित नहीं कर सकी क्योंकि तथ्यों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए ₹ 10.71 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध केवल ₹ 1.08 करोड़ ही जारी किए गए थे।

अनुशंसा

दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विभाग को छह माह के भीतर दूसरी मवेशी प्रदान करके दो-दुधारु मवेशी डेयरी को सुव्यवस्थित करने के अलावा मिनी, मिडी, वाणिज्यिक एवं मार्डन डेयरियों को और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करना चाहिए। आगे, विभाग को बछियों के जन्म का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए तथा उन बछियों के पालन के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करनी चाहिए जिससे कि इनकी दूध-जन्य अवस्था में महत्तम परिणति हो सके।

कंडिका 2.1.7.1

तकनिकी इनपुट कार्यक्रम (त.इ.का)

विभागीय सचिव के द्वारा दिए गए (जनवरी 2018) आश्वासनों तथा कई अधियाचनाओं/ स्मारों के बावजूद विभाग ने 2012-16 की अवधि में ₹ 43 करोड़ मूल्य के तकनीकी इनपुट की खरीद तथा वितरण से संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने में असफल रहा। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सहायक निदेशक (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) ने धोखे से समान विपत्र के आधार पर डोरण्डा कोषागार से दो बार ₹ 7.82 लाख की निकासी की (मार्च 2017)।

अनुशंसा

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा सहायक निदेशक द्वारा दो बार निकासी किया जाना निगरानी जाँच के योग्य है।

कंडिका 2.1.7.2

अनियमित भुगतान ₹ 4.25 करोड़

एक अयोग्य कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए खनिज मिश्रण की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को विभाग ने दबा दिया तथा ₹ 4.25 करोड़ का अवमानक खनिज मिश्रण खरीदा।

अनुशंसा

एक अयोग्य कंपनी की चयन की पूरी प्रक्रिया, गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन का दमन, तथा ₹ 4.25 करोड़ का भुगतान निगरानी जाँच के योग्य है।

कंडिका 2.1.7.2 (iii)

अनुश्रवण

विभाग ने (i) कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु मूल प्रदर्शन संकेतक (मू.प्र.सं.) को परिभाषित, (ii) अनिवार्य तीसरे पक्ष की निगरानी तथा मूल्यांकन (iii) जि.ग.वि.प./ जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय यात्राओं के माध्यम से योजनाओं का समुचित अनुश्रवण (iv) प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) की स्थापना तथा (v) आंतरिक लेखापरीक्षा का क्रियांवयन नहीं किया।

अनुशंसा

विभाग को सभी स्तरों पर अनुश्रवण तथा निरीक्षण प्रक्रियाओं के निर्धारण तथा पालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

कंडिका 2.1.8

(ii) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा

मानव संसाधन प्रबंधन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2017 तक राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में 702 जेनेटिक/अल्ट्रासोनोग्राफी (यू.एस.जी.) केन्द्रों में से 250 केन्द्रों (36 प्रतिशत) में राज्यों में नियुक्त कुल 599 चिकित्सकों में से 227 अयोग्य चिकित्सक (38 प्रतिशत) थे उनके पैनल में कोई योग्य चिकित्सक नहीं थे। इनमें से, 87 यू.एस.जी. केन्द्रों पर 81 एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को बिना किसी अनुभव या प्रशिक्षण के लगाया गया, 163 यू.एस.जी. केन्द्रों ने 146 एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को नियुक्त किया जिनके पास छह महीनों का प्रशिक्षण/एक वर्ष का अनुभव था, वे भी अनिवार्य योग्यता

आधारित मूल्यांकन (यो.आ.मू.)[2] पास नहीं थे। नमूना जाँचित जिलों में, 136 यू.एस.जी. केन्द्रों में काम कर रहे 126 अयोग्य चिकित्सकों ने 2014-17 के दौरान 59,959 सोनोग्राफी[3] किया जिनमें से 61 यू.एस.जी. केन्द्रों में 56 अनुभवहीन तथा अप्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा 604 सोनोग्राफी की गई।

कुल 24 में से 5 जिलों में, 2014-17 के दौरान 71 यू.एस.जी. केन्द्रों के साथ 18 रेडियोलॉजिस्ट पंजीकृत थे, भारत सरकार की अधिकतम दो यू.एस.जी. केन्द्रों प्रति रेडियोलॉजिस्ट की शर्तो का उल्लंधन करते हुए प्रत्येक रेडियोलॉजिस्ट तीन से छह यू.एस.जी. केन्द्रों में काम कर रहे थे।

अनुशंसा

विभाग के द्वारा इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए (i) अयोग्य चिकित्सकों जो सोनोग्राफी कर रहे थे, (ii) यू.एस.जी. केन्द्र जो ऐसे अयोग्य चिकित्सकों को सोनोग्राफी करने की अनुमति दे रहे थे तथा (iii) जि.स.प्रा. जिन्होंने ऐसे यू.एस.जी. केन्द्रों को पंजीकृत किया जिसके पास योग्य चिकित्सक नहीं थे।

कंडिकाएँ 2.2.2.2 तथा 2.2.2.3

अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निगरानी तथा निरीक्षण

राज्य सरकार ने इस अधिनियम के लागू होने के दो दशकों के बाद भी किसी भी अनुमण्डल में उप-जिला समुचित प्राधिकार का गठन नहीं किया। इसके अलावा, राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए राज्य पर्यवेक्षण समिति तथा राज्य सलाहकार समिति के पुनर्गठन में दो वर्ष की देरी हुई थी। इन कमियों के कारण राज्य एवं केन्द्रीय स्तर की समितियों की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में रुकावट हुई जैसे कि किसी एक जिला में अधिकतम दो अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों में योग्य चिकित्सकों को काम करने तक सीमित करना, शिकायतों के प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन परेशानी/शिकायत पोर्टल की स्थापना, राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के द्वारा अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का निरीक्षण, फार्म[4] एफ का ऑनलाइन निगरानी करना, यू.एस.जी. केन्द्रों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का खाता बनाना इत्यादि। इसके परिणामस्वरुप अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं निरीक्षण करने में भी असफलता रही जैसे कि 2,257 मामलों में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के आवश्यक अभिलेखों के संधारण में कमी, 979 मामलों में पंजीकृत चिकित्सकीय चिकित्सकों के परामर्श पर्ची के बिना

---

[2] पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम, 2014 के नियम 9 (छह महीने प्रशिक्षण) के अनुसार एक वर्ष के अनुभव या छह महीने के प्रशिक्षण के आधार पर यू.एस.जी. केन्द्र में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर को योग्यता आधारित मूल्यांकन परीक्षा पास करना होगा।

[3] भ्रूण वृद्धि या शारीरिक अंगों के अध्ययन हेतु

[4] प्रसव पूर्व ईलाज जाँच/प्रक्रिया के मामले में जेनेटिक क्लिनिक/ यू.एस.जी. क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के द्वारा अभिलेखों के संधारण हेतु फार्म।

सोनोग्राफी का किया जाना, 14 यू.एस.जी. केन्द्रों में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट के अलावा दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से प्रकट होता है।

अनुशंसा

विभाग को अधिनियम के आदेश को पूरा करने हेतु संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने तथा पर्यवेक्षी एवं सलाहकार समिति की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र उप-जिला समुचित प्राधिकारों की स्थापना करनी चाहिए ।

कंडिकाएँ 2.2.4.2 तथा 2.2.4.3

राज्य निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति (रा.नि.अ.स.) 2014-17 के दौरान न तो कोई क्षेत्रीय दौरे पर गई और न ही किसी यू.एस.जी. केन्द्र का निरीक्षण किया। जिला समुचित प्राधिकार (जि.स.प्रा.) ने 2014-17 के दौरान राज्य में लक्षित निरीक्षणों का केवल तीन प्रतिशत (8,608 निरीक्षणों में से 244 निरीक्षण) का ही निरीक्षण किया। नमूना जाँचित जिलों में 2014-17 के दौरान (अपेक्षित 5,060 निरीक्षणों के विरुद्ध 96 निरीक्षण) जिला समुचित प्राधिकारों द्वारा केवल दो प्रतिशत का ही निरीक्षण किया गया था।

नौ यू.एस.जी. केन्द्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में (जिसका संबंधित जि.स.प्रा. द्वारा किए गए निरीक्षणों में किसी अनियमितता का खुलासा नहीं किया गया था) इसकी कमियों का पता चला जैसे कि केन्द्रों द्वारा बुनियादी अभिलेखों का असंधारण, अयोग्य डॉक्टरों द्वारा यू.एस.जी. किया जाना, छवियों की प्रतिलिपि की अनुपलब्धता, प्रदर्शन बोर्ड पर रेडियोलॉजिस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या एवं योग्यता की अनुपस्थिति इत्यादि।

अनुशंसा

विभाग को रा.नि.अ.स. तथा जि.स.प्रा. द्वारा निरीक्षणों की लक्षित संख्या को सुनिश्चित करना चाहिए तथा उन जि.स.प्रा. के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके नौ यू.एस.जी. केन्द्रों के निरीक्षण में लेखापरीक्षा की समीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का खुलासा नहीं किया गया।

कंडिका 2.2.4.7 (i) & (ii)

लेखापरीक्षा एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा 72 यू.एस.जी. केन्द्रों की साझा भौतिक निरीक्षण में नवीकरण एवं अनुमोदन में विलंब के कारण 21 यू.एस.जी. केन्द्र द्वारा अवैध रुप से कार्य करना, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करने के लिए 3,717 मामलों के 61 प्रतिशत मामलों के महत्वपूर्ण अभिलेखों का असंधारण, सोनोग्राफी करने के 3,717 मामलों के 26 प्रतिशत मामलों में पंजीकृत चिकित्सकों के परामर्श पर्ची का अभाव, 65 प्रतिशत मामलों में यू.एस.जी. केन्द्रों द्वारा मासिक प्रतिवेदनों को जमा न करना इत्यादि समेत कई नियमों का उल्लंघन प्रकट हुआ।

अनुशंसा

विभाग को अधिनियम के उल्लंघन में रोक लगाने हेतु यू.एस.जी. केन्द्रों की निरंतर जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

कंडिका 2.2.4.7 (iii)

भारत सरकार के निर्देश (मई 2015) के तीन से ज्यादा वर्षों के बाद भी विभाग ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के कार्यान्वयन की सूचना के लिए ऑनलाइन परेशानी/शिकायत पोर्टल एवं व्यापक वेबसाइट का विकास कार्य को आज तक (मई 2018) पूरा नहीं किया है। परिणामस्वरुप, लेखापरीक्षा समीक्षा में अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ एक भी शिकायत विभाग में दर्ज नहीं पाई गई।

अनुशंसा

विभाग को वेबसाइट का विकास तथा परिचालन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जल्द से जल्द कार्यात्मक हो। वेबसाइट पर निवारण स्थिति के साथ-साथ प्राधिकरण जहाँ ये मामले लंबित है, के बारे में सूचना होनी चाहिए।

कंडिका 2.2.4.9 (i)

(iii) झारखण्ड में वनभूमि के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

झारखण्ड में 23.605 लाख हेक्टेयर अभिलिखित वन क्षेत्र है, जिनमें से 19.185 लाख हेक्टेयर (81 प्रतिशत) को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत प्रारंभिक अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने संरक्षित वन घोषित कर दिया जो मुख्यत: 1952 तथा 1967 के बीच जारी की गई। हालाँकि, विभाग के मुख्यालय ने प्रारंभिक अधिसूचनाओं के किसी भी अभिलेखों का संधारण नहीं किया। 12 जाँचित वन प्रमंडलों में, लेखापरीक्षा ने 86 प्रारंभिक अधिसूचनाओं की जाँच की, जिसमें राज्य के 19.185 लाख हेक्टेयर में से 7.33 लाख हेक्टेयर (38 प्रतिशत) संरक्षित वन शामिल है। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

मानव संसाधन प्रबंधन

वन विभाग में अधीनस्थ क्षेत्र अधिकारियों की भारी कमी थी। मार्च 2018 तक, वनपाल, वनरक्षी तथा अमीन के पदों की रिक्ति क्रमश: 73 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, तथा 78 प्रतिशत थी। इसने वनभूमि की सीमाओं की रखवाली, वनभूमि अभिलेखों तथा मानचित्रों के संधारण इत्यादि जैसे विभागीय अधिदेशों के निष्पादन पर काफी प्रभाव डाला।

अनुशंसा

विभाग को, वनों के समुचित प्रबंधन के लिए, सीमांकन रजिस्टर के रखरखाव और वन की सुरक्षा हेतु वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए क्षेत्र स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मानवबल की भर्ती करनी चाहिए।

कंडिका 2.3.2

अंतिम अधिसूचना का अभाव

वन बंदोबस्त पदाधिकारियों (व.बं.प.) की नियुक्ति में विफलता ने वनभूमि का पूर्ण सीमांकन, मानचित्रों का सत्यापन, निष्कासित क्षेत्रों का अधिसूचना रद्ध करने का प्रारुप निर्गत करने में विफलता एवं भूमि का निष्कासन के कारण विभाग ने विगत 65 वर्षों में संरक्षित वन पर एक भी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है।

अंतिम अधिसूचनाओं के अभाव एवं वन तथा भूमि राजस्व विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी के कारण 25,181 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ, इसके अलावा विभाग वनभूमि की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहा।

अनुशंसा

विभाग को वन बंदोबस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई शुरु करनी चाहिए ताकि अंतिम अधिसूचनाओं को बिना विलंब के जारी किया जा सके। वन भूमि की अनधिकृत खरीद बिक्री को रोकने के लिए विभाग को भूमि राजस्व विभाग के साथ वन भूमि की विस्तृत जानकारी भी साझा करनी चाहिए।

कंडिका 2.3.3.1 एवं 2.3.3.2

क्षतिपूरक वनरोपण

बारह में से सात नमूना जाँचित वन प्रमंडलों में, प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु स्थानांतरित 760.41 हेक्टेयर गैर-वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रारुप अधिसूचनाओं में सुधार हेतु आवश्यक अनुपालन तैयार नहीं किया गया।

अनुशंसा

प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु स्थानांतरित गैर-वन भूमि की अधिसूचना के अनुमोदन के लिए विभाग को तत्काल कार्रवाई शुरु करनी चाहिए।

कंडिका 2.3.3.3

आश्रयणी की अंतिम अधिसूचना

पलामू वन्यजीव (बेतला राष्ट्रीय पार्क) आश्रयणी तथा महुआडाँड़ भेडिया आश्रयणी के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जून तथा जुलाई, 1976 में जारी की गई थी। हालाँकि, इन आश्रयणियों की अंतिम अधिसूचना विभाग द्वारा जारी नहीं की गई थी, क्योंकि प्रभावित अधिकार धारकों की वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि विभाग ने अपेक्षित राशि की व्यवस्था के लिए पहल नहीं की।

अनुशंसा

विभाग को समयबद्ध तरीके से प्रभावित अधिकार-धारकों के आजीविका की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्रवाई शुरू करनी चाहिए ताकि संबंधित आश्रयणियों की अंतिम अधिसूचनाएँ जारी की जा सकें।

कंडिका 2.3.3.4

असमायोजित विसंगतियाँ

विभाग द्वारा एफ.एस.आई. को प्रदत् आँकड़े तथा लेखापरीक्षा में दिए गए वन प्रमंडलों के द्वारा संधारित आँकड़े में 1.037 हेक्टेयर की विसंगति थी।

अनुशंसा

एफ.एस.आई. के प्रतिवेदन तथा प्रमंडलीय अभिलेखों में अभिलिखित वन भूमि में 1.037 लाख हेक्टेयर की विसंगतियों के समाधान के लिए विभाग को तत्काल समयबद्ध कदम उठाने चाहिए।

कंडिका 2.3.4

(iv) लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ अहम कमियाँ पाई गई हैं, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा (आठ कंडिकाएँ) से मिले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की अनुपस्थिति, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामले तथा पर्यवेक्षण/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित कुछ प्रमुख अवलोकन किए गए। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल, लातेहार द्वारा अनुबधों को समाप्त करने तथा शेष संतुलित कार्यों को पुन: शुरु करने में अत्यधिक देरी, इसके अलावा आवाजाही की अनुमति देने से पूर्व वाटर बाउण्ड मैकाडम सतह को बिटुमिनस परत से आच्छादित करने में असफलता के कारण लागत में ₹ 3.12 करोड़ की वृद्धि हुई, ₹ 2.62 करोड़ का परिसमापन नुकसान की गैर-वसूली तथा ₹ 93 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 2.4.1)

- संवेदक द्वारा कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने में असफलता के बावजूद मूल्य वृद्धि के लाभ के साथ तीन अयोग्य समय विस्तार के माध्यम से मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, राँची ने एक संवेदक को ₹ 3.60 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

(कंडिका 2.4.2)

• वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने आदेश का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार के खर्च पर पुलिस गार्ड को निजी व्यक्तियों के लिये प्रतिनियुक्त किया, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 14.11 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.4.3)

• प्रयोक्ता अभिकरणों के द्वारा तैनाती शुल्क का भुगतान नहीं करने के बावजूद पुलिस महानिरीक्षक, प्रचालन राँची के द्वारा विशेष सहायक पुलिस-I की तैनाती जारी रखने के परिणामस्वरुप ₹ 5.48 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.4.4)

• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निधि प्रदान करने, पदों के सृजन, उपकरण की खरीद एवं कार्यों की निगरानी में असफलता के कारण पाँच अपूर्ण तथा गैर-कार्यात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं पर ₹ 11.30 करोड़ का व्यर्थ तथा निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.4.5)

• एक अतिक्रमित स्थल पर वर्षा जल संचयन के लाइव मॉडल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर ₹ 2.02 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 2.4.6)

• पहुँच पथ एवं गैर-समन्वयित सड़क तथा सेतु कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सेतु कार्यों के आरंभ के परिणामस्वरुप तीन सेतुओं का निर्माण कार्य तीन से चार वर्षों तक बंद रहा जिसके कारण ₹ 4.66 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ इसके अलावा पथ निर्माण तथा ग्रामीण विकास विभागों में ₹ 76.82 लाख चार से अधिक वर्षों तक अवरुद्ध रहे।

(कंडिका 2.4.7)

• पथ निर्माण विभाग द्वारा कारगली तथा चलकारी गाँवों को जोड़ने के लिए एक सेतु निर्माण कार्य की अविवेकपूर्ण स्वीकृति दी गयी जबकि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उन्हीं गाँवों को जोड़ने के लिए अलग सेतु का निर्माण कार्य प्रगति में था, जिसके कारण पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 15.47 करोड़ रुपये के सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया।

(कंडिका 2.4.8)